पत्रांक.–1प्रा0आ0–27 / 2013 4472 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिलो के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव / वरीय पदाधिकारी,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार

पटना–15, दिनांक– 1/10/13

विषय– सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) जिलों में सुखाड़ राहत कार्यों की समीक्षा / अनुश्रवण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0 4156 / आ0प्र0, दिनांक–18.09.2013 द्वारा राज्य के 33 जिलो को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया गया है। विभागीय अधिसूचना की प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। अधिसूचना विभागीय बेवसाईट **http://www.disastermgmt.bih.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

2. अधिसूचना की कंडिका–5 के अनुसार सुखाड़ कार्यो के अनुश्रवण की व्यवस्था निम्नानुसार की जानी है:–

क. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सुखाड़ साहाय्य कार्य चलाए जायेंगे। सुखाड़ के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24 घंटे कियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसकी दूरभाष संख्या को आम जनता की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में रोस्टर में सिविल पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सेवाओं के पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। जिला पदाधिकारी के अधीन गठित टॉस्कफोर्स सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों का साप्ताहिक अनुश्रवण करेगा।

ख. राज्य मुख्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग में राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित नियंत्रण कक्ष निरंतर कियाशील रहेगा।

ग. ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाएंगे जो निरंतर कियाशील रहेंगे।

घ. राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) निरंतर कियाशील रहेगा तथा सुखाड़ग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सतत् अनुश्रवण करेगा।

च. जिलों के प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिलों का भ्रमण कर चलाये जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण प्रत्येक पक्ष में करेंगे।

छ. प्रमण्डलीय आयुक्त अपने प्रभार के जिलों में राहत कार्यो का सघन अनुश्रवण एवं निगरानी करेंगे।

3. उपरोक्त कंडिका की उपकंडिका 'च' के अवलोकन से विदित होगा कि जिलों के प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिलों का भ्रमण कर चलाये जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण प्रत्येक पक्ष में करेंगे। इसी प्रकार उपकंडिका 'छ' के अवलोकन से विदित होगा कि प्रमंडलीय आयुक्त अपने प्रभार के जिलों में राहत कार्यो का सघन अनुश्रवण एवं निगरानी करेंगे। .

4. अनुश्रवण के संबंध में दिनांक 01.10.13 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत आपदा प्रबंधन समूह एवं जिलों के प्रभारी प्रधान सचिवों/ सचिवों आदि की संयुक्त बैठक में सुखाड़ राहत हेतु चलाए जा रहे कार्यो की जानकारी एवं समीक्षा के बिन्दु चिन्हित किए गए हैं। उक्त बैठक में भारत सरकार को आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से भेजे गए मेमोरैण्डम की प्रति भी उपस्थित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। मेमोरैण्डम में सुखाड़ राहत कार्यों का बिन्दुवार विवेचन वर्णित है। मेमोरैण्डम विभागीय वेवसाईट पर भी उपलब्ध है।

5. अतः अनुरोध है कि कंडिका 'च' एवं 'छ' के आलोक में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागवार/सेक्टरवार जिला स्तर पर सुखाड़ राहत कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण करने की कृपा की जाय :–

क्र0 सं0	विभाग/सेक्टर का नाम	समीक्षा किये जाने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु
1	कृषि विभाग	• खरीफ फसल बचाने हेतु किसानो को पटवन के लिए डीजल सब्सिडी एवं बीज पर किसी इनपुट अनुदान • वैकल्पिक फसल को प्रोत्साहित करने एवं सहकारिता तथा राष्ट्रीय बैको के माध्यम से कृषि ऋण की व्यवस्था • वैकल्पिक पटवन की व्यवस्था हेतु जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से कार्य योजना तैयार किया जाना • डीजल सब्सिडी वितरण को खरीफ के साथ–साथ रबी फसल के लिए लागू किये जाने के संबंध में • कृषको को कृषि बीमा का लाभ पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा

2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	• सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की स्थिति। • खराब चापाकलो की मरम्मत/नये चापाकलो की अधिष्ठापन आदि की स्थिति। • प्रभावित क्षेत्र में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था • शहरी क्षेत्रों में पाईप के माध्यम से जलापूर्ति हेतु निर्वाध विद्युत आपूर्ति। • निर्बाध जलापूर्ति हेतु सभी प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सबमरसेबुल पम्पो की व्यवस्था। • जिलास्तर पर पेयजल से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु कंट्रोल रूम की व्यवस्था।
3	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	• सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा। • अन्नपूर्णा एवं अन्त्योदय योजना की समीक्षा। • मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडारण की स्थिति • "शताब्दी अन्न कलश योजना" अंतर्गत पंचायतो के चिन्हित जनवितरण प्रणाली के दुकान में रिवॉलविंग स्टॉक में एक क्वींटल खाद्यान्न की उपलब्धता।
4	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	• पशुचारा के उपलब्धता की स्थिति। • पशुओं के लिए वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था। • आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी पशु शिविरो की व्यवस्था। • पर्याप्त मात्रा में पशु दवाओं की व्यवस्था। • भ्रमणशील पशु चिकित्सा दल की व्यवस्था।
5	ग्रामीण विकास विभाग	• मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार सृजन के कार्रवाई की स्थिति। • मनरेगा योजना अंतर्गत जल संरक्षण यथा – नये तालाब की खुदाई एवं पुराने तालाब की उड़ाही, चेक डैम का निर्माण एवं वृक्षारोपण आदि योजनाओं को लिया जाना।

6	ऊर्जा विभाग	• सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में 8 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समीक्षा। • ग्रामीण क्षेत्रों जले एवं खराब ट्रांसफॉमरो के बदलाव की समीक्षा।
7	स्वास्थ्य विभाग	• मानव दवा उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • भ्रमणशील चिकित्सा दल की व्यवस्था।
8	समाज कल्याण विभाग	• आई0सी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चो के विशेष सुविधा प्रदान करने के संबंध में।
9	जल संसाधन विभाग	• नहरो के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की स्थिति।
10	सांस्थिक वित्त	• बैको द्वारा ऋण वितरण एवं कर्ज वसूली स्थगित रखे जाने की अद्यतन स्थिति।

6. यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार अपने प्रभार के जिलो का क्षेत्रीय भ्रमण कर उपरोक्त संपादित किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा/अनुश्रवण के उपरान्त प्रतिवेदन तैयार कर उसकी प्रति मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ सभी संबंधित विभागों एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव